न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : निशान्त जैन, आई0ए0एस0

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 39 / 2023

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थी–
भारथो उर्फ भारथाराम पुत्र खानूराम जाति मेघवाल निवासी दीपला, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गडरारोड जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956।

उपस्थिति :–
श्री सुरेश कुमार पूनड़, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 21.03.2024

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रार्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 05.06.1979 को खातेदारी के खेत खसरा नंबर 1016 रकबा 20.0724 हैक्टेयर किस्म बा.चा. ग्राम द्राभा तहसील चौहटन की भूमि आवंटित की गई थी। प्रार्थी को उक्त भूमि का जारी आवंटन आदेश का इन्द्राज गैर खातेदारी श्रेणी में नहीं किया गया। प्रार्थी ने उक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु यह राजस्व आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया एवं विवादित भूमि के मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मंगवाई गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि प्रार्थी एक पाक विस्थापित था जिरो शरणार्थी शिविर कैम्प [illegible] द्वारा दिनांक 12.09.1978 द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर भूमि प्राप्त करने [illegible] घोषित किया गया। इस पर कार्यालय जिलाधीश बाड़मेर द्वारा दिनांक 05.06.1979 को [illegible] को ग्राम द्राभा के खसरा संख्या 1016 रकबा [illegible]724 हैक्टेयर किस्म [illegible] वर्तमान मौजा शहदाद का पार खुर्द पटवार हल्का रोहिड़ी में गैर खातेदारी श्रेणी में

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.06.19 18:29:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

संवत् 2035 से दस वर्ष के लिए भूमि आवंटन का आदेश जारी किया। उक्त आवंटन की पालना में तत्समय हलका पटवारी व संबंधित राजस्व कर्मियों द्वारा राजस्व अभिलेख में आदिनांक दर्ज नहीं किया गया है। प्रार्थी एक अनपढ़ एवं ग्रामीण व्यक्ति है जो उसे आवंटित भूमि पर लम्बे समय से काश्त करता आ रहा है। हलका पटवारी द्वारा प्रार्थी को कई बार मौके पर पूछा कि आपका नाम राजस्व रेकर्ड में नहीं है आपके विरूद्ध अतिक्रमी के रूप में कार्यवाही की जावेगी। इस पर प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण में आक्षेपित आवंटन आदेश की प्रति दिखाने पर हलका पटवारी द्वारा किसी तरह की कार्यवाही नहीं की गई और न ही राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता सम्पूर्ण रेकर्ड की प्रमाणित नकल दिनांक 13.04.2023 को प्राप्त की जिसके अवलोकन से प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि संवत् 2035 से 2044 की जमाबंदी में प्रार्थी का नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज करने का नामान्तरकरण भरा नहीं गया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी को आवंटित खसरा संख्या 1016 की भूमि आज भी किसी को आवंटित नहीं है एवं राजस्व रेकर्ड में आज भी सरकारी खाते में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी का दर्ज किया जाता है तो अन्य किसी का हित प्रभावी नहीं होता है। प्रार्थी उसे आवंटित उक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है। इस हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को नियमानुसार आवंटित भूमि प्रार्थी के पक्ष में राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने का आदेश फरमाया जावे।

4. अप्रार्थी तहसीलदार गडरारोड द्वारा हलका पटवारी से मौका जांच करवाई जाकर जवाब प्रस्तुत किया जिसमें प्रकट किया कि हस्तगत प्रकरण में पटवार मण्डल रोहिड़ी के राजस्व ग्राम शहदाद का पार खुर्द के खसरा संख्या 1016 में आवंटी भारथो उर्फ भारथाराम पुत्र खानूराम के नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद नहीं हुआ है। उक्त खसरा डी.एन.पी. क्षेत्र के बाहर अवस्थित है एवं किस्म बा.चा. होने के कारण प्रतिबंतिध भूमियों की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त भूमि मौके पर खाली है तथा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। उक्त खसरा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की परिधि से 10 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित है [illegible] न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। राजस्थान [illegible] आवंटन) नियम 1970 के उप नियम 15(1) [illegible] गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.06.19 18:29:46 IST
Reason: SelfAttested

5. हमने प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी को सक्षम

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्राधिकारी द्वारा भारतीय नागरिकता एवं कार्यालय जिलाधीश बाड़मेर द्वारा दिनांक 05.06.1979 को खातेदारी के खेत खसरा नंबर 1016 रकबा 20.0724 हैक्टेयर किस्म बा.चा. ग्राम द्राभा तहसील गुडरारोड़ की भूमि आवंटित की गई जिसका इन्द्राज गैर खातेदारी श्रेणी में नहीं किया गया। तहसीलदार गुडरारोड द्वारा हलका पटवारी से मौका जांच करवाई जाकर जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रकट किया कि हस्तगत प्रकरण में आक्षेपित आदेश द्वारा प्रार्थी को आवंटित भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद नहीं किया गया है और न ही राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के उप नियम 15(1) की पालना की गई है। उक्त खसरा डी.एन.पी. क्षेत्र के बाहर अवस्थित है एवं किस्म बा.चा. होने के कारण प्रतिबंतिध भूमियों की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त भूमि मौके पर खाली है तथा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। उक्त खसरा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की परिधि से 10 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित है और किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। इस प्रकार वस्तुस्थिति की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को उक्त भूमि का आवंटन वर्ष 1979 को हुआ था जिसका राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद नही होने का तथ्य करीब 44 वर्ष बाद जानकारी में आना सद्भाविक प्रतीत नहीं होता हैं। तहसीलदार द्वारा भी भूमि के वर्तमान रेकर्ड एवं मौके की स्थिति की रिपोर्ट की गई हैं किन्तु इतनी लम्बी समयावधि तक आवंटन का रेकर्ड में अंकन नहीं किये जाने का कोई युक्तिसंगत कारण नहीं दर्शाया हैं। इस अवधि के दौरान यह भी सम्भाव्य हैं कि प्रार्थी का आवंटन किसी कार्यवाही में प्रश्नगत होकर अप्रभावी कर दिया गया हों। जहां तक भूमि पर कब्जे–काश्त का प्रश्न हैं तो हस्तगत प्रार्थना–पत्र के संलग्न इस तथ्य की पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस प्रकार प्रथम तो प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया होने से निरस्त योग्य हैं साथ ही विलम्ब का कोई सन्तुष्टिपरक कारण भी प्रकट नहीं किया गया हैं, लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मयाद के साथ–साथ गुणावगुण पर भी कमजोर होने से खारिज योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.03.24 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.06.19 18:29:46 IST
Reason: SelfAttested

(निशान्त जैन)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर